रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2010/कार्तिक 4, 1932
No. 593] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2010/KARTIKA 4, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 857(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटर्नी जनरल (अपर उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) भर्ती और सेवा शर्तें नियम, 1999 का, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक, अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी समूह 'क' पद भर्ती और सेवा शर्तें नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **साधारण.**—जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) के रूप में की गई सेवा न्यायिक सेवा समझी जाएगी और उसकी सभी प्रयोजनों के लिए इस रूप में गणना की जाएगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—केवल वह व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे ।

7. **ज्येष्ठता.**— जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) की ज्येष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित होगी, अर्थात् :–

(i) किसी अधिष्ठायी हैसियत में नियुक्त कोई अधिकारी स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी से ज्येष्ठ होगा ;

(ii) किसी अधिष्ठायी हैसियत में किसी पद पर नियुक्ति किए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता उस पद पर अधिष्ठायी हैसियत में उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार अवधारित होगी और जहां दो या अधिक अधिकारी एक ही तारीख को अधिष्ठायी हैसियत में नियुक्त किए जाते हैं, वहीं उनकी ज्येष्ठता किसी स्थानापन्न हैसियत में ऐसे पद धारण करते समय उनकी ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित होगी ;

(iii) किसी स्थानापन्न हैसियत में किसी पद पर नियुक्ति अधिकारियों की ज्येष्ठता उन पदों पर नियुक्ति के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित होगी।

8. **सेवा की अन्य शर्तें.**— ऐसे विषयों के संबंध में जिनके बारे में इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किए गए हैं या अपर्याप्त उपबंध है, जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) की सेवा शर्तें जब तक कि केन्द्रीय सरकार लिखित में किसी आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दें, वहीं होगी जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे अन्य अधिकारियों को जो तत्समान रैंक या प्रास्थिति धारण किए हुए हैं, को समय–समय पर लागू होती है।

9. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहॉ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोडे गए वर्षो का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक)	01* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–4, 37400–67000 रू0 और ग्रेड वेतन 8900 रू0.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हों सकने पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** किसी ऐसे अधिकारी की प्रोन्नति द्वारा, जो बल में अपर जज अटर्नी जनरल(कमांडेंट) है या रहा है, साथ ही जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने बल में 'क' समूह में 20 वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की है और विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम में अर्हता रखते हों। **टिप्पण 1.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा, 1.1.2006/वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षिन वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

ऐसा व्यक्ति जो.—

(i) ब्रिगेडियर है या रहा है या सेना या नौसेना या वायुसेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी है जिसने समूह 'क' में बीस वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा की है ; या

(ii) जिसने जिला जज का पद या उसके समतुल्य पद धारण किया है और बीस वर्ष से अन्यून किसी अवधि के लिए राज्य न्यायिक सेवा का कोई सदस्य है या रहा है ; या

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के विधि विभाग के ऐसे अधिकारियों में से :

(क) जो वेतन बैंड–4 में 37400–67000/– रू. के वेतनमान और 8700/– रू. ग्रेड वेतन में अपर विधिक सलाहकार या उसके समतुल्य है या रहे हैं और जिन्होंने ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा के साथ विधिक मामलों या न्यायालय मामलों संबंधी कार्य का बीस बर्ष का अनुभव है ; या

(ख) जो वेतन बैंड–3 में 15600–39100/–रू. के वेतनमान और 7600/– रू. ग्रेड वेतन में उप विधिक सलाहकार या उसके समतुल्य है या रहे हैं और जिन्होंने ग्रेड में छः वर्ष नियमित सेवा के साथ विधिक मामलों या न्यायालय मामलों संबंधी कार्य का बीस वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है।

पुनर्नियोजन द्वारा :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर

सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। बशर्ते ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण – प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :

वह व्यक्ति जो सेना या नौसेना या वायुसेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में ब्रिगेडियर या उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी रहा है जिसने बीस वर्ष की न्यूनतम कमिशन्ड सेवा की है, व सेवा में 2 वर्ष से अधिक का व्यवधान ना हो।

टिप्पण – पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(13)	**(14)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिदेशक – अध्यक्ष भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य 3. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल या किसी अन्य पुलिस संगठनों – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट)	03* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–4, 37400–67000 रू0 और ग्रेड वेतन 8700 रू0.	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हों सकने पर प्रतिनियुक्ति या	**प्रोन्नति द्वारा :** बल का ऐसा अधिकारी जिसने बल में उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) है या रहा है, के साथ ग्रेड में दस वर्ष नियमित सेवा की है और विधिक विषयों या न्यायालय मामलों संबंधी कार्य का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव है और विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम में अर्हता रखते हों। ।

पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन द्वारा	**टिप्पण 1.**— ऐसे उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं के लिए प्रोन्नति की पात्रता ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा और बल में समूह 'क' में पंद्रह वर्ष सेवा, जिन्हें विधिक विषयों/न्यायालय मामलों संबंधी कार्य का न्यूनतम पंद्रह वर्ष का अनुभव है, जारी रहेगी। **टिप्पण 2.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 3.**— प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,—

(i) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री रखते हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सेकंड–इन–कमांड या कमांडेंट का पद धारण किए हुए है, के साथ समूह 'क' सेवा पंद्रह वर्ष की है और विधिक मामलों का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखते हैं ; या

(ii) बल के उप कमांडेंट जो विधि में डिग्री रखते हैं और ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की है, के साथ विधिक मामलों में दस वर्ष का अनुभव और समूह 'क' सेवा कुल पंद्रह वर्ष की है ; या

(iii) पैरा मिलिट्री फोर्स में सेवारत जिनके अधिनियम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 के समान है और समूह 'क' सेवा में न्यूनतम पंद्रह वर्षों के साथ समतुल्य पद धारण किए हुए है ; या

(iv) पे बैंड–3 के ग्रेड में (15600–39100 रू. और ग्रेड पे 7600 रू.) पांच वर्ष की नियमित सेवा की है के साथ समूह 'क' सेवा पंद्रह वर्ष की है और विधि विषय में डिग्री और विधिक मामलों का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखते हैं ; या

(v) कर्नल है या रहा है या सेना या नौसेना या वायुसेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी रहा है या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का कोई अधिकारी

या जज एडवोकेट जनरल विभाग में समतुल्य अधिकारी जिसने संघ के किसी सशस्त्र बल में पंद्रह वर्ष की कमीशंड सेवा की है ; या

(vi) जो पंद्रह वर्ष से अन्यून किसी अवधि के लिए राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है या रहा है ; या

(vii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के विधि विभाग के ऐसे अधिकारियों में से :

(क) जो वेतन बैंड–4 में 37400–67000/– रू. के वेतनमान और 8700/– रू. ग्रेड वेतन में अपर विधिक सलाहकार या उसके समतुल्य है या रहे हैं, विधिक मामलों/न्यायालय मामलों संबंधी कार्य का पंद्रह वर्ष का अनुभव है ; या

(ख) जो वेतन बैंड–3 में 15600–39100/– रू. के वेतनमान और 7600/– रू. ग्रेड वेतन में उप विधिक सलाहकार या उसके समतुल्य है या रहे हैं, और जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ विधिक मामलों/न्यायालय मामलों संबंधी कार्य का पंद्रह वर्ष का अनुभव है ; या

(ग) जो वेतन बैंड–3 में 15600–39100/– रू. के वेतनमान और 6600/– रू. ग्रेड वेतन में सहायक विधिक सलाहकार या उसके समतुल्य है या रहे हैं, और जिन्होंने ग्रेड में दस वर्ष नियमित सेवा के साथ विधिक मामलों/न्यायालय मामलों संबंधी कार्य का पंद्रह वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एंक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है।

पुनर्नियोजन द्वारा :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित कोई अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। बशर्ते ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण – प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :

वह व्यक्ति जो सेना या नौसेना या वायुसेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में कर्नल या उसके

समतुल्य रैंक का अधिकारी रहा है जिसने पन्द्रह वर्ष की न्यूनतम कमिशन्ड सेवा की है व सेवा में दो वर्ष से अधिक का व्यवधान न हो।

टिप्पण – पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिदेशक – अध्यक्ष भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल 2. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य 4. जज अटर्नी जनरल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट)	08* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–3, 15600–39100 रू0 और ग्रेड वेतन 6600/– रू0.	चयन	लागू नहीं होता

(7)
पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण.**— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निणार्यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य। (ii) विधिक मामलों में पांच वर्ष का अनुभव। (iii) किसी एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए अर्हित होना चाहिए। **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में परास्नातक डिग्री या उसके समतुल्य। (ii) सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि के अधीन विचारणों से	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष।

संबंधित दो वर्ष का अनुभव। **शारीरिक मानदंड :** (i) **पुरूषों के लिए** ऊंचाई – 165 सेंटीमीटर छाती – 81 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) 86 सेंटीमीटर (फुलाने पर) वजन – 50 किलोग्राम दृष्टि (चश्मे सहित या रहित) :– दूर दृष्टि : 6/6 एक आंख में 6/9 दूसरी आंख में पास दृष्टिः 0.6 एक आंख में 0.8 दूसरी आंख में (ii) **महिलाओं के लिए** ऊंचाई – 157 सेंटीमीटर छाती – लागू नहीं होता वजन – ऊंचाई के अनुपात में दृष्टि (चश्मे सहित या रहित) :– दूर दृष्टि : 6/6 एक आंख में 6/9 दूसरी आंख में पास दृष्टिः 0.6 एक आंख में 0.8 दूसरी आंख में अभ्यर्थियों को अंतर्जानु और सपाट पैर नहीं होना चाहिए।		

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा/आमेलन या भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति द्वारा :** बल का ऐसा अधिकारी जो बल में जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) है या रहा है, के साथ ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम में अर्हता रखते हों। **टिप्पण 1.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.—** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके

कि जहां एक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :

वह व्यक्ति —

(i) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सेवारत अधिकारी के साथ विधि में डिग्री रखता है और समूह 'क' में पांच वर्ष की सेवा के साथ न्यूनतम दो वर्ष छः माह का विधिक विषयों/न्यायालय के मामलों का अनुभव रखता है ; या

(ii) सेना या नौसेना या वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में मेजर या उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी है या रहा है ; या

(iii) जो पांच वर्ष से अन्यून किसी अवधि के लिए राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है या रहा है ; या

(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के विधि विभाग के 15600–39100 रू. के वेतनमान (वेतन बैंड–3) और ग्रेड वेतन 6600/– रू. का कोई समूह 'क' पद का अधिकारी है या रहा है ; या

(v) कोई अधिकारी जो अभियोजन काउंसिल है या रहा है 15600–39100 रू. के वेतनमान (वेतन बैंड–3) और ग्रेड वेतन 5400/– रू. से पांच वर्ष से अन्यून कोई समूह 'क' पद केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी ; या

(vi) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों का, 15600–39100 रू. के वेतनमान (वेतन बैंड–3) और ग्रेड वेतन 5400/– रू. में पांच वर्ष से समूह 'क' पद धारण किया हुआ कोई अधिकारी जो विधिक विषयों/न्यायालय के मामलों का पांच वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव रखता हो ; या

(vii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य रखने वाला कोई अधिकारी और सहायक कमांडेंट पद या उसके समतुल्य 15600–39100 रू. के वेतनमान (वेतन बैंड–3) और ग्रेड वेतन 5400/– रू. में केन्द्र के कोई अन्य सशस्त्र बल जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पैरा मिलिट्री फोर्स भी है या राज्य पुलिस में पांच वर्ष के लिए जिसके साथ दो वर्ष छः माह का विधिक विषयों/न्यायालय के मामलों का अनुभव रखता है।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है। **पुनर्नियोजन द्वारा :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। बशर्ते ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण** – प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :** ऐसे व्यक्ति के पुनर्नियोजन द्वारा जो सेना या नौसेना या वायुसेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में मेजर या उसके समतुल्य रैंक पर रहा है, विधिक मामलों में पांच वर्ष का अनुभव रखता है और कॉलम सं0 8 में विहित अर्हताएं रखता है व सेवा में दो वर्ष से अधिक का व्यवधान न हो। **टिप्पण** – पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	**(14)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिदेशक – अध्यक्ष भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल 2. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. जज अटर्नी जनरल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट)	03* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–3, 15600–39100 रू0 और ग्रेड वेतन 5400/– रू0.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)		
तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण.**— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निणार्यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य। (ii) विधिक मामलों में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। (iii) किसी एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए अर्हित होना चाहिए। **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में परास्नातक डिग्री या उसके समतुल्य। (ii) सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि के अधीन विचारणों से संबंधित एक वर्ष का अनुभव। **शारीरिक मानदंड :** (i) **पुरूषों के लिए** ऊंचाई – 165 सेंटीमीटर छाती – 81 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) 86 सेंटीमीटर (फुलाने पर) वजन – 50 किलोग्राम दृष्टि (चश्मे सहित या रहित) :– दूर दृष्टि : 6/6 एक आंख में 6/9 दूसरी आंख में पास दृष्टि: 0.6 एक आंख में 0.8 दूसरी आंख में (ii) **महिलाओं के लिए** ऊंचाई – 157 सेंटीमीटर छाती – लागू नहीं होता वजन – ऊंचाई के अनुपात में दृष्टि (चश्मे सहित या रहित) :– दूर दृष्टि : 6/6 एक आंख में 6/9 दूसरी आंख में पास दृष्टि: 0.6 एक आंख में 0.8 दूसरी आंख में अभ्यर्थियों को अंतर्जानु और सपाट पैर नहीं होना चाहिए।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा/आमेलन या भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :** कोई व्यक्ति – (i) कैप्टन या समतुल्य रैंक का अधिकारी जो सेना या नौसेना या वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में कार्यरत है या रहा है ; या (ii) सहायक कमांडेंट या समतुल्य पद धारक कोई अधिकारी है या रहा है, वेतनमान 15600–39100 रू. (वेतन बैंड–3) और ग्रेड वेतन 5400/–रू. में केन्द्रीय पुलिस संगठनों/केन्द्रीय पैरा मिलिट्री बलों में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में विधि की डिग्री या उसके समतुल्य रखने वाला कोई अधिकारी ; या (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का सदृश्य पद रखने वाला कोई अधिकारी है या रहा है और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री या उसके समतुल्य रखता है [(वेतन बैंड–3) 15600–39100 रू. और ग्रेड वेतन 5400/– रू.] **टिप्पण 1.**— प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.**— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.**— प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है। **पुनर्नियोजन द्वारा :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। बशर्ते ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

	टिप्पण – प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :** ऐसे व्यक्तियों के पुनर्नियोजन द्वारा जो सेना या नौ सेना या वायु सेना के जजएडवोकेट जनरल विभाग में कैप्टन या उसके समतुल्य पद का अधिकारी रहा हो तथा कॉलम–8 में विहित अर्हतायें एवं अनुभव रखता हो तथा सेवा में दो वर्ष से अधिक का व्यवधान न हो। **टिप्पण** – पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. जज अटर्नी जनरल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

[फा. सं. I. 12011/2/2009-संगठन]

एस. सी. सिवाजी राव, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2010

G.S.R. 857(E).—In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General (Additional Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment and Conditions of Service Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General, Additional Judge Attorney General, Deputy Judge Attorney General and Judge Attorney Group 'A' Posts Recruitment and Conditions of Service Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and Pay Band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. General.—Service rendered as Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) shall be deemed to be Judicial Service and shall reckon as such for all purpose.

6. Medical Fitness.—Only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Manual Volume-III, shall be eligible for appointment and promotion under the provisions of these rules.

7. Seniority.—The seniority of Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) shall be determined in accordance with the following principles, namely :—

(i) an officer appointed in a substantive capacity shall be senior to an officer appointed in an officiating capacity ;

(ii) seniority of officers appointed to any post in a substantive capacity shall be determined in accordance with the date of appointment to that post in a substantive capacity and where two or more officers are appointed in a substantive capacity on the same date, their seniority shall be determined in accordance with their seniority while holding such posts in an officiating capacity; and

(iii) seniority of officers appointed to any post in an officiating capacity shall be determined in accordance with the order of selection for appointment to the posts.

8. Other Conditions of Service.—The conditions of service of the Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) in respect of matters for which no provision or insufficient provision has been made under these rules, shall, unless the Central Government, by an order in writing, otherwise directs, be the same as are applicable from time to time to other officers of the Indo-Tibetan Border Police Force holding the corresponding ranks or status.

9. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay scale	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Judge Attorney General (Deputy Inspector General).	1* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-4, Rs. 37400-67000/- and Grade Pay of Rs.8900/-.	Selection post.	Not applicable.
Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation/ re-employment failing both by re-employment of ex-servicemen.	
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.					
(12)					
By Promotion: By promotion of an officer who is or has been an Additional Judge Attorney General (Commandant) of the Force with two years' regular service in the grade and twenty years' of Group 'A' service on regular basis in the Force and have qualified in the pre-promotion training/courses conducted by the department. **Note 1.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.**— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.					

By deputation:

A person who.—

(i) is or has been an officer of the rank of Brigadier or equivalent in the Department of the Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force with minimum of twenty years' of regular service in Group 'A'; or

(ii) is or has been a member of the State Judicial Service for a period not less than twenty years and holding the post of District Judge or an equivalent post; or

(iii) from amongst Central Government or State Government officers of the Legal Department who;

a) is or has been an Additional Legal Advisor or equivalent in the pay scale of Rs. 37400-67000/- and Grade Pay Rs. 8700/- in Pay Band-4 having two years of regular service in the grade with twenty years of experience in dealing with legal matters or court cases ; or

b) is or has been a Deputy Legal Advisor or equivalent in pay scale of Rs.15600-39100/- and Grade Pay Rs. 7600/- in Pay Band-3 having six years' of regular service in the grade with twenty years in dealing with legal matters or court cases.

Note 1.— The period of deputation including of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

By re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. Provided that such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to be released from Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

Note.—The maximum age limit for eligibility for deputation/re-employment shall be not exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

By re-employment of Ex-servicemen:

A person who has been an officer of the rank of Brigadier or equivalent in the department of Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force with minimum commissioned service of twenty years, having break in service of not more than two years.

Note.—The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty- six years on the date of receipt of application.

If a departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'A 'Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member 3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 4. Inspector General, Central Reserve Police Force or any Central Police Organisation - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

4167 GI/10-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Additional Judge Attorney General (Commandant).	3* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-4, Rs. 37400-67000/- and Grade Pay of Rs.8700/-.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation or re-employment failing both by re-employment of ex-servicemen.

(12)

By Promotion:

An officer who is or has been a Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) of the Force with ten years' regular service in the grade and having minimum ten years' experience in dealing with legal matters or court cases and have qualified in the pre-promotion training/courses conducted by the department.

Note 1.— The eligibility for promotion of Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant), who are holding the post on regular basis, on the date of the notification of these rules shall continue to be six years service in the grade and fifteen years of Group 'A' service in the Force having fifteen years experience in dealing with legal matters/court cases.

Note 2.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

By deputation:

Officers in the Central Government—

(i) possessing degree in Law from a recognised university and holding the post of Second-in-Command or Commandant in Indo-Tibetan Border Police Force with fifteen years' Group 'A' service and having atleast ten years' experience in legal affairs; or

(ii) Deputy Commandant of the force having degree in Law and ten years regular service in the grade with ten years' experience in legal affairs and having total fifteen years of Group 'A' service ; or

(iii) serving in Para Military Forces having an Act similar to Indo-Tibetan Border Police Force Act 1992 holding analogous post with minimum of fifteen years Group 'A' service; or

(iv) in the grade of Pay Band-3 (Rs. 15600-39100/- and Grade Pay of Rs.7600/-) with five years regular service in the grade and having fifteen years of Group 'A' service and having degree in Law and ten years experience in legal affairs; or

(v) is or has been an officer of the rank of Colonel or equivalent in the Department of the Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force; or an officer of the rank of Lieutenant Colonel or equivalent in the Department of Judge Advocate General with fifteen years commissioned service in any of the Armed forces of the Union; or

(vi) is or has been a member of the State Judicial Service for a period of not less than fifteen years; or

(vii) from amongst Central Government or State Government officer of the Legal Department who.—

a) is or has been a Additional Legal Advisor or equivalent in the pay scale of Rs. 37400-67000/- (PB-4) and Grade Pay of Rs. 8700/- having fifteen years experience in dealing with legal matters/court cases; or

b) is or has been a Deputy Legal Advisor or equivalent in the pay scale of Rs. 15600-39100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 7600/- having five years of regular service in the grade having atleast fifteen years of experience in dealing with legal matters/court cases; or

c) is or has been a Assistant Legal Advisor or equivalent in the pay scale of Rs. 15600-39100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 6600/- having ten years of regular service in the grade with fifteen years of experience in dealing with legal matters/court cases.

Note 1.— The period of deputation including of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

By re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. Provided that such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to be released from Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

Note.—The maximum age limit for eligibility for deputation/re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

By re-employment of Ex-servicemen:

A person who has been an officer of the rank of Colonel or equivalent in the department of Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force with minimum commissioned service of fifteen years having experience in dealing with legal matters/court cases, having break in service of not more than two years.

Note.—The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member 4. Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force- Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant).	8* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band- 3, Rs. 15600-39100/- and Grade Pay of Rs.6600/-.	Selection post.	Not applicable.

(7)
Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note :- The crucial date for determining the age limit in each case shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) Degree in Law from recognised University or equivalent. (ii) Five years' experience in Legal affairs. (iii) Should be qualified for enrolment as an Advocate. **Desirable :** (i) A post graduate Degree in Law from recognised University or equivalent. (ii) Two years experience in dealing with trials under special laws related to Armed Forces. **Physical Standard :** (i) For male: Height : 165 cms. Chest : 81 cms (Unexpanded) 86 cms (Expanded) Weight: 50 Kgs. Eyesight (with or without glasses) Distant vision : 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision : 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. (ii) For female: Height : 157 cms Chest : Not applicable. Weight : Proportionate to height. Eyesight (with or without glasses) Distant vision : 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision : 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. **Candidates should not have knock-knees and flat foot.**	Not applicable.	Two years in case of direct recruits.	By promotion failing which by deputation/ absorption or re-employment of ex-servicemen and failing both by direct recruitment.

(12)

By Promotion:

By promotion of an officer who is or has been a Judge Attorney (Assistant Commandant) of the Force with five years' regular service in the grade and have qualified in the pre-promotion training/courses conducted by the department.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

By deputation/absorption:

A person who.—

(i) serving Indo-Tibetan Border Police Force officers with degree in Law and five years Group 'A' service with minimum two and half years experience in dealing with legal matters/court cases: or

(ii) is or has been an officer of the rank of Major or equivalent in the Department of the Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force; or

(iii) is or has been a member of the State Judicial Service for a period of not less than five years or;

(iv) is or has been an officer having degree in law of a recognised University or equivalent and holding Group 'A' post in the pay scale of Rs. 15600-39100 (PB-3) and Grade Pay of Rs.6600/- in the legal department of Central Government or State Government; or

(v) is or has been an officer who has been a prosecution counsel and holding a Group 'A' post in the pay scale of Rs. 15600-39100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5400/- in the Central Government or State Government for a period of not less than five years; or

(vi) is or has been an officer having degree in law of a recognized University or equivalent and has been holding a Group 'A' post in the pay scale of Rs. 15600-39100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5400/- in the Central Government or State Government for five years and having experience in dealing with legal matters/court cases for a period not less than five years; or

(vii) is or has been an officer having degree in law of a recognised University or equivalent and has been holding the post of Assistant Commandant or equivalent in the pay scale of Rs. 15600-39100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5400/- in any other Armed Force of the Union inclusive of Central Para Military Force or State Police for five years with two and half years experience in dealing with legal matters/court cases.

Note 1.— Period of deputation including of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.—The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty- two years as on the date of receipt of application.)

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

By re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. Provided that such person would be given deputation terms upto the date on which they are due to released from Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

Note.—The maximum age limit for eligibility for deputation/re-employment shall be not exceeding fifty-two years as on the date of receipt of application.

By re-employment of Ex-servicemen :

By re-employment of person who has been an officer of the rank of Major or equivalent with five years experience in legal affairs in the department of Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force and possessing the qualifications prescribed under column (8), having break in service not more than two years.

Note.—The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty- two years on the date of receipt of application.

(13)	(14)
Group 'A 'Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 4. Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Judge Attorney (Assistant Commandant).	3* 2010 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-3, Rs.15600-39100/-and Grade Pay of Rs.5400/-.	Not applicable.	Not applicable.

(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note :- The crucial date for determining the age- limit in each case shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghlaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) Degree in Law from recognised University or equivalent. (ii) Two years minimum experience in Legal affairs. (iii) Should be qualified for enrolment as an Advocate. **Desirable :** (i) A post graduate Degree in Law from recognised University or equivalent. (ii) One year experience in dealing with trials under special laws related to Armed Forces.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation/ absorption or re-employment of ex-servicemen failing both by direct recruitment.

Physical Standard : (i) For male: Height : 165 cms. Chest : 81 cms (Unexpanded) 86 cms (Expanded) Weight: 50 Kgs. Eyesight (with or without glasses) Distant vision : 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision : 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. (ii) For female: Height : 157 cms Chest : Not applicable. Weight : Proportionate to height. Eyesight (with or without glasses) Distant vision : 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision : 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. **Candidates should not have knock-knees and flat foot.**			

(12)

By deputation/absorption:

A person who.—

(i) is or has been an officer of the rank of Captain or equivalent in the department of the Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force; or

(ii) is or has been an officer holding the post of Assistant Commandant or equivalent in the pay scale of Rs. 15600-39100/- (PB-3) and Grade Pay of Rs. 5400/- in the Central Police Organisations/ Central Para Military Forces having degree in law of a recognised University or equivalent; or

(iii) is or has been an officer of Central Government or State Government holding the analogous post and is having degree in law of a recognised University or equivalent; [(PB-3), Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs. 5400/-]

Note 1.— Period of deputation including of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age limit for eligibility for deputation shall be fifty-two years on the date of receipt of application.

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

By re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. Provided that such person would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

Note.—The maximum age limit for eligibility for deputation/re-employment shall be not exceeding fifty-two years as on the date of receipt of application.

By re-employment of Ex-servicemen:

By re-employment of person who has been an officer of the rank of Captain or equivalent in the department of Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force and possessing the qualifications and experience prescribed under column (8), having break in service not more than two years.

Note.— The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(13)		(14)
Group 'A 'Departmental Promotion Committee consisting of:-		Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.
1. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force	- Chairman	
2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member	
3. Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member	
4. Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs	- Member	

[F. No. I. 12011/2/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.